फ्लैगशिप योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहें : जिला प्रभारी मंत्री

कोटा, (निसं)। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री परसादी लाल मीना ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ जिले में सभी पात्र व्यक्तियों को मिले इसके लिए अधिकारी जनता के ट्रस्टी बनकर कार्य करें। उन्होंने लक्ष्य पूरे नहीं करने वाले विभागों को योजना क्रियान्यवयन के लिए विशेष शिविर लगाकर पात्र लोगों का चयन करने के निर्देश दिये।

जिला प्रभारी मंत्री शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समय पर मिले जिससे जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो सके। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं में एक-दूसरे विभागों के समन्वय से लक्ष्य पूरे किए जाने हैं उनमें विशेष शिविर लगाकर मौके पर ही नागरिकों के आवेदनों की पूर्ति करवाएं तथा स्वीकृति जारी कर अंतिम रूप से उसका लाभ प्रदान करें। उन्होंने अन्न सुरक्षा योजना के पात्र नागरिकों को पोर्टल पर जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास करने तथा अपात्र लोगों को छंटनी कर हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा व सहायता की योजनाओं में पात्र नागरिकों को चयन के लिए गांव-गांव में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री ने विवेकानन्द अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करें। कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना में अनुदान की जानकारी किसानों को लहसुन एवं धनिया प्रसंस्करण इकाई स्थापना के लिए प्रेरित करें। उन्होंने इन्दिरा रसोई योजना का विस्तार कर जरूरतमंद नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, किसान मित्र योजना में कम प्रगति पर उन्होंने बैंकों से समन्वय करते हुए नगर निकायों को विशेष कैम्प आयोजित करने, विद्युत निगम को किसानों को बकाया जमा करवाकर विद्युत बिलों में अनुदान देने के निर्देश दिये।

कोटा में प्रभारी मंत्री ने बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

फ्री जांच-फ्री इलाज:- जिला प्रभारी मंत्री ने चिकित्सा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक रोगी को फ्री जांच फ्री ईलाज की सुविधा की पालना शत-प्रतिशत हों। उन्होंने जिला कलक्टर को विशेष टीम बनाकर प्रतिमाह अस्पतालों में नि:शुल्क जांच व नि:शुल्क दवा योजना की क्रियान्विति की जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज को दवा अथवा जांच के लिए अस्पताल के बाहर नहीं जाना पड़ें। उप स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर मेडिकल कॉलेज तक सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का पारदर्शिता से लाभ मिलें।

चिरंजीवी योजना का मिले लाभ:- चिकित्सा मंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल सभी अस्पतालों में दी जा रही कैशलेस ईलाज की सुविधा का समय-समय पर जांच करने तथा बीमा क्लेम की राशि का उपयोग चिकित्सा उपकरणों के विस्तार में करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसी भी अस्पताल में भर्ती गरीब, असहाय व्यक्ति जिसके द्वारा चिरंजीवी योजना में पंजीयन नहीं कराया गया है उसका

■ जिला प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली

मौके पर पंजीयन कर कैशलेस की ईलाज की सुविधा के लिए जिला कलक्टर को निर्देशित किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजना में पंजीयन के लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए।

डीएमएफटी फण्ड से आएगी एमआरआई मशीन:- मेडिकल कॉलेज में एमआरआई के लिए लम्बी प्रतिक्षा सूची की जानकारी मिलने पर जिला प्रभारी मंत्री ने डीएमएफटी फण्ड से एमआरआई मशीन खरीद के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए। इस मशीन के लिए को क्रय करने के लिए लगभग 14 करोड़ रूपये व्यय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता के लिए बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी।

योजनाओं का हो प्रचार-प्रसार:-प्रमुख शासन सचिव यूडीएच एवं जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने सभी विभागों को फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को उनकी जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग को सभी अस्पतालों में नि:शुल्क जांच, नि:शुल्क दवा व चिरंजीवी योजना की जानकारी प्रत्येक वार्ड में लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने निरोगी राजस्थान अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज में रोगियों के साथ आने वाले परिजनों के लिए प्रतिदिन योग शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध योजना में अधिक से अधिक नमूने लेकर जांच करने, शादी-विवाह को देखते हुए आगामी दो दिवस में सीएमएचओ को 50 नमूने दूध के तथा 25 मावा के लेकर उनकी जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से अन्तिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिलें, यह सुनिश्चित किया जाएं। जिला कलक्टर हरिमोहन मीना ने विभागवार फ्लैगशिप योजनाओं की उपलब्धि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सभी अधिकारियों को उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में आवश्यक रूप से उपस्थित होने तथा प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलो अप शिविरों में प्रभावी रूप से समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन राजकुमार सिंह, शहर बीएम बैरवा, एएसपी सिटी प्रवीण जैन, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. विजय सरदाना, डीएसओ पुष्पा हरवानी, आयुक्त नगर निगम उत्तर राजपाल सिंह, अतिरिक्त आयुक्त दक्षिण अशोक त्यागी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पांच दिवसीय आवासीय बाल संस्कार शिविर 15 मई से

कोटा, (निसं)। भारत विकास परिषद् आजाद शाखा द्वारा तलवंडी जैन मंदिर प्रांगण में आगामी 15 मई से 19 मई तक पांच दिवसीय आवासीय बाल संस्कार शिविर आयोजित किया जाएगा।

आजाद शाखा संरक्षक संजय मंगल ने बताया की भारत विकास परिषद् वर्ष भर पॉच सूत्रों संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, पर कार्य करती है। जिसमे से ये शिविर संस्कार प्रकल्प पर आधारित है, जहां बच्चो को मोबाइल व टीवी से दूर जीवन जीने के लिए आवश्यक दिनचर्या के साथ बौद्धिक आत्मिक धार्मिक ज्ञान के साथ खेलकूद योग ध्यान साधना के साथ साथ डांस बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मैजिक मैथ्स जैसे विषयों के माध्यम से रोचक जानकारियां हांसिल करने का अवसर प्राप्त होगा। आजाद शाखा अध्यक्ष अमन जैन ने बताया की कोटा का कोई भी बच्चा इस शिविर में भाग ले सकता है। कोरोना के बाद इस आवासीय शिविर का आयोजन कई चुनौतियों से भरा हुआ है।

कार्यालय नगर निगम कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/राजस्व/2022/1353-1354 दिनांक:-13.5.22

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये सूचित किया जाता है कि श्री धनसिंह सोलंकी पुत्र श्री किशन सिंह सोलंकी म.नं. 269 एमबीएस रोड रंगबाड़ी कोटा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार "होटल मैसर्स द लास्ट मार्टिनी" 269 एमबीएस रोड रंगबाड़ी कोटा में संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

अत: इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक "ए" के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही कर दी जावेगी। सूचित हो।

राजस्व अधिकारी नगर निगम कोटा (दक्षिण)

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

सूचना

निम्न लिखित ऋणी, सह-ऋणी व गारण्टर को सूचित किया जाता है सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत आपकी सम्पत्ति को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा विक्रय कर दिया गया है। यदि आप द्वारा नोटिस दिनांक से "7 दिवस" के भीतर बंधक सम्पत्ति में रखा हुआ सामान नहीं हटाया जाता है तो उक्त सामान का बेचान अथवा अन्यत्र किरायाशुदा स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। जिसके हर्जे, खर्चे व स्थानान्तरण के दौरान होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। सामान प्राप्त करने व इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र :- श्री महिपाल सिंह 9116616403 या नजदीकी शाखा में सम्पर्क करे।

ऋण खाता संख्या	ऋणी /सह-ऋणी/बंधक-कर्ता/जमानतदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण
खाता संख्या : L9001060700181812	हेमराज गोचर पुत्र राम गोपाल (ऋणी व बंधककर्ता), श्रीमती निर्मला बाई पत्नी हेमराज गोचर (सह-ऋणी)	मकान नं. 4-के-28, ब्लॉक नं. 4-के, महावीर नगर एक्टेंशन, जिला-कोटा, राजस्थान क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर

दिनांक- 13-05-2021
स्थान - कोटा

S/d प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

मोशन के दो विद्यार्थी इंटरनेशनल ओलंपियाड में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे

कोटा, (निसं)। इंटरनेशनल ओलंपियाड में मोशन के 2 विद्यार्थी भारत का करेंगे। मोशन एजुकेशन के सीईओ नितिन विजय ने बताया कि होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई की ओर से आयोजित इंटरनेशनल फिजिक्स ओलिंपियाड-आईपीएचओ में दिव्यांशु मालू और बायोलॉजी ओलिंपियाड में रोहित पांडा का चयन फाइनल राउंड के लिए हुआ है। मोशन एजुकेशन के छात्र अवनीश बंसल का चयन ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप-ओसीएससी में जूनियर साइंस के लिए हुआ है।

होमा भाभा सेंटर ऑफ़ साइंस एजुकेशन की ओर से आयोजित इंडियन ओलम्पियाड क्वालीफायर इन जूनियर साइंस पार्ट-2 के बाद नेशनल लेवल पर टॉप 35 बच्चों का चयन होता है। इसमें से इंटरनेशनल लेवल के ओलिंपियाड के लिए छह बच्चे दूसरे देशों में जाकर भारत की नुमाइंदगी करते हैं।

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियो को

मुकदमा नम्बर /2021
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री विनय कुमार गुन्दालिया पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह राठौर 6 फर्स्ट फलोर 293-294 शैली स्कवायर सेक्टर बी तलवण्डी कोटा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत मां पीताम्बरा चेरीटेबल ट्रस्ट के सम्बन्ध में पंजीयन हेतु जांच किये जाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है।

अत एव धारा 18 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास, जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करे।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

यह नोटिस आज दि. 11.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया।

प्रकरण मे आगामी सुनवाई की दि.12.08.2022 है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग कोटा

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा सूचना
क्रं. ईएल/टीआरडी/50/एनआईटी
दिनांक 11.05.2022

भारत के राष्ट्रपति के लिए अथवा उनकी ओर से म.रे.प्र. (क.वि.) प.म.रे. कोटा निम्न कार्य के लिए खुली मोहरबंद निविदा आमंत्रित करता है। **निविदा संख्या एवं कार्य का नाम** – निविदा संख्या– ईएल/टीआरडी/50/02 (2022 – 23) कोटा डिवीजन– रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज्ड कॉपर कान्टेन्ट वायर, केन्टीलीवर असेम्बली एण्ड शिफिटिंग ऑफ ओएचई ऑन न्यू फीडर मास्ट ऑन मेन लाईन इन एडीई/टीआरडी/भरतपुर सेक्शन, **अनुमानित लागत** – 9,50,46,294/–, **निविदा संख्या एवं कार्य का नाम** – निविदा संख्या – ईएल/टीआरडी/50/03 (2021–22) कोटा डिवीजन– रिप्लेसमेंट ऑफ ओवर एज्ड कॉपर कान्टेन्ट वायर, केन्टीलीवर असेम्बली एण्ड शिफिटिंग ऑफ ओएचई ऑन न्यू फीडर मास्ट ऑन मेन लाईन इन डीडीई/टीआरडी/कोटा सेक्शन, **अनुमानित लागत** – 8,62,93,269/–, **उपरोक्त सभी निविदाओं के बंद होने की तारीख एवं समय**– दिनांक 15.06.2022 को 15.30 बजे। **उपरोक्त सभी निविदाओं के लिए वेबसाईट का विवरण तथा पता**– https://www.ireps.gov.in प्रथम तल मंडल रेल प्रबंधक (क.वि.) कार्यालय प.म.रेल कोटा। ऑफर केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से https://www.ireps.gov.in पर स्वीकार किये जायेगे। निविदादाता के पास क्लास III डिजिटल सिंग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं आईआरईपीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुअली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजो की स्पेशल कंडीशन व शर्ते अवश्य पढ़ ले।

मंडल रेल प्रबंधक (क.वि.)
पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा

कोरोना को है हराना, तो टीकाकरण जरूर कराना

न्यास ने सड़क ठीक नहीं कराई तो जनता के सहयोग से सड़क ठीक करवाएंगे : बृजेश नीटू

कोटा, (निसं)। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता एवं पूर्व पार्षद बृजेश शर्मा नीटू ने विज्ञान नगर की मुख्य सड़क पर नगर विकास न्यास द्वारा डाली जा रही सीवरेज लाइन डालने के पश्चात बनाई गई सड़क पर आपत्ति जताते हुए अधिशासी अभियंता सी पी शुक्ला को अवगत कराया ओर कहा कि सड़क बनाने के मात्र 1 सप्ताह में ही सड़क उखाड़ने लगी यदि एक बरसात पड़ गई तो यहां ओर सड़क नाम की चीज ही नही बचेगी।

इस पर शुक्ला ने कनिष्ठ अभियंता सागर गर्ग को मोके पर भेजा, वहां पूर्व पार्षद बृजेश शर्मा नीटू सहित उपस्थित अनिल अग्रवाल मनोज नामा मनोज शर्मा अमन गोचर ने उन्हें सड़क की यथास्थिति बताते हुए हां कि यह विज्ञान नगर क्षेत्र का व्यस्ततम रोड़ हैं, 2018 में न्यास द्वारा कंट्रोल सीसी सड़क का निर्माण कराया गया था, जिसकी लागत लगभग 92 लाख रुपये आयी थी। ओर 4 वर्ष पूरे होने पर भी इसका कुछ नही बिगड़ा था। किंतु विगत माह नगर विकास न्यास द्वारा यहां पर सीवरेज लाइन डालने का कार्य प्रारंभ किया गया कार्य पूरा होने के पश्चात यहां पर खोदी गई सड़क पर गिट्टी सीमेंट डालकर अपने कार्य की इतिश्री कर दी गई जिसकी परिणति यहां के स्थानीय लोगों को भुगत नी पड़ेगी। उपस्थित स्थानीय व्यापारी मनोज शर्मा ने कहा कि यहां डाली गई हल्की क्वालिटी की गिट्टि के चलते वाहनों के निकलने से मेरी दुकान का कांच टुट गया में 20000 का नुकसान हो गया इस पर कनिष्ठ अभियंता सागर गर्ग ने कहा कि हमारे द्वारा गिट्ट सही कराई गई थी किंतु उचित तराई नहीं होने के चलते गिट्टी अपने स्थान से निकल रही है शीघ्र ही पूरी सड़क को दुरुस्त कर दिया जाएगा, इस पर पूर्व पार्षद नीटू ने कहा कि यदि न्यास द्वारा इस सड़क को शीघ्र ही सही नहीं कराया गया तो स्थानीय लोगों के सहयोग लेकर इस सड़क को सही कराया जाएगा ओर जनता के समक्ष न्यास की कार्य शैली की हकीकत बताई जाएगी ताकि आने वाले बरसात के दिनों में स्थानीय एवं आम नागरिकों को मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े।

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2023-23/789 आपत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक:-12.05.22

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती कौशल्या चौबे पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार व्यास निवासी रावतभाटा ने इस कार्यालय में आवेदन मय शपथ पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर आवासीय योजना के भूखंड संख्या 198 श्रेणी (स) साईज 30X60 कुल 167.29 वर्गमीटर अर्थात 1800 वर्गफीट का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने नाम पालिका रिकार्ड में दर्ज करने व बाद नामान्तरण इस भूखंड पर आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन हेतु आवेदन मय नक्शे की प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया है।

प्रस्तुत दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखंड पालिका द्वारा नीलामी दिनांक 01.10.2009 अंतर्गत श्री रोहित अग्निहोत्री पिता श्री के.के. अग्निहोत्री निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया था, जिसकी लीज डीड इस मूल क्रेता के पक्ष में क्रमांक निल दिनांक 13.01.2010 एवं पंजीयन दिनांक 04.02.2010 से जारी की गई। इसके पश्चात क्रेता ने पालिका से बिना विक्रय अनापत्ति पत्र प्राप्त किए उक्त खाली भूखंड को आवेदक श्रीमती कौशल्या चौबे पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार व्यास निवासी रावतभाटा को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 28.04.2022 से किमतन विक्रय किया गया है। जिसके आधार पर आवेदक ने भूखंड का नामान्तरण नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत एवं बाद नामान्तरण भूखंड पर आवासीय भवन के निर्माण की स्वीकृति व नक्शानुमोदन प्रभावी मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के प्रावधानों के तहत चाही गयी है।

चूंकि खाली भूखंड पर विभाग पर निर्धारित समयावधि पर भवन निर्माण नहीं किये जाने पर पुर्नग्रहण शुल्क लिया जाकर आवेदन का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है।

अत: उक्त भूखंड का हस्तान्तरण पालिका रिकार्ड में आवेदक के नाम दर्ज कर भवन निर्माण स्वीकृति व नक्शानुमोदन किये जाने में किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/उजर हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति/उजरदारी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

प्रदेश में नए करोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी कमी आई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शुक्रवार को करोना संक्रमण के मामलों में थोड़ी कमी आई है। इसके चलते राज्य में 70 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच 92 मरीजों के ठीक होने के साथ एक्टिव केस घटकर 616 रह गए हैं।

प्रदेश में शुक्रवार को 12 जिलों में 70 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले शनिवार को 80 रोगी पाए गए थे। इधर आज राजधानी जयपुर में थोड़ी वृद्धि के बाद 49 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अलवर में 10, धौलपुर में 6, जोधपुर और चूरू में 3-3, अजमेर और उदयपुर में 2-2 तथा बीकानेर, दौसा, गंगानगर, झालावाड़ और कोटा में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच 21 जिलों बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनूं, करौली, नागौर,

■ राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 49 नए मरीज पाए गए हैं।

■ प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में 92 संक्रमितों के ठीक होने से एक्टिव केस घटकर 616 रह गए है।

पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

प्रदेश में शुक्रवार को रिकवरी में सुधार हुआ है। इस दौरान 92 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर 616 रह गए हैं। हालाकि अभी सर्वाधिक 390 मामले राजधानी जयपुर में है। इसके अलावा धौलपुर में 100 मरीजों का इलाज चल रहा है। उधर प्रदेश में शुक्रवार को करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालाकि अब तक इस बीमारी से राज्य में 9554 लोगों मृत्यु हो चुकी है।

जगतपुरा में 5 नए संक्रमित मिले: राजधानी जयपुर में शुक्रवार को 24 स्थानों पर नए करोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5 नए मरीज जगतपुरा में पाए गए हैं। इसके अलावा जवाहर नगर में 4, गोपालपुरा, मानसरोवर, सोड़ाला और वैशाली नगर में 3-3 तथा बापू नगर, बरकत नगर, जौहरी बाजार, झोटवाड़ा, खातीपुरा, मालवीय नगर, मुरलीपुरा, पुरानी बस्ती, सांगानेर व शास्त्री नगर में 2-2 और अजमेर रोड, बगरू, सी-स्कीम, दुर्गापुरा, घाटगेट, एमडी रोड, टोंक रोड और विराट नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है। इस बीच जयपुर में 74 मरीज ठीक हुए हैं।

कांग्रेस के चिंतन शिवर का मतलब गांधी परिवार से शुरू, गांधी परिवार पर ही खतम : डॉ. सतीश पूनिया

जयपुर। कांग्रेस चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिये बयानों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में वही रटी-रटाई बातें जिनसे गांधी परिवार खुश होता है, और परिवारवाद इस कदर हावी है कि पूरी कांग्रेस गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है, इससे आगे कांग्रेस की कोई सोच नहीं है, ना कोई विजन है, सिर्फ परिवारवाद की राजनीति के इर्द-गिर्द ही कांग्रेस सिमट गई है।

परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार इत्यादि के कारण ही कांग्रेस पूरे देश से सिमट चुकी है, केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बची है, इन दो राज्यों से भी आने वाले चुनावों में कांग्रेस मुक्त हो जायेगी। कांग्रेस के चिंतन शिवर में सोनिया गांधी कह रही है कि अल्पसंख्यकों तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, क्या सोनिया गांधी को यह पता नहीं है कि कांग्रेस सरकार के शासन में करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर और नोहर में हिंसा भड़की, कोटा में पीएफआई की रैली को इजाजत किसने दी, क्या सोनिया गांधी को प्रदेश में बहुसंख्यकों पर अत्याचार नहीं दिखते?

इन क्षेत्रों में हिंसा पीड़ितों से मिलने आज तक अशोक गहलोत नहीं गये, हिंसा करने वाले लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, सरकार सिर्फ लीपापोती कर रही है, एक पक्ष के दोष को छुपाने के लिये दूसरे पक्ष के लोगों को फंसाया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस तुष्टिकरण कर वोट बैंक के लिये कर रही है। आजादी से लेकर 50-55 वर्षों तक अल्पसंख्यकों को कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक तक ही सीमित रखा, इनके विकास व संबल के लिये अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पिछले 8 वर्षों से मोदी सरकार में कार्य हो रहे हैं। सोनिया गांधी को कांग्रेस के चिंतन शिविर से कोई संदेश देना है तो अशोक गहलोत को कहें कि किसान कर्जमाफी का वादा पूरा करें।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 553 जाहिर आम सूचना दिनांक - 11.5.22

आवास संख्या 2-म-17 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री अजीत सिंह सिंधवी पुत्र श्री सज्जन चंद को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री अजीत सिंह सिंधवी पुत्र श्री सज्जन चंद सिंधवी द्वारा दिनांक 25.05.1990 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरान्त श्री अजीत सिंह सिंधवी पुत्र श्री सज्जन चंद सिंधवी द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 03.09.1992 को श्री शिवजीराम प्रतिहार पुत्र श्री यू.एन. प्रतिहार को अपना मुख्तार आम धारक नियुक्त किया गया। श्री शिवजीराम प्रतिहार पुत्र श्री यू.एन. प्रतिहार द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से इस आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 17.01.1994 को श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम माखिजा एवं श्री सुनील कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम माखिजा को संयुक्त रुप से किया गया। श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम माखिजा एवं श्री सुनील कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम माखिजा का नाम दिनांक 23.11.2016 को मंडल अभिलेख में संयुक्त रुप से दर्ज किया जा चुका है। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम माखिजा एवं श्री सुनील कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम माखिजा द्वारा इस आवास का दान जरिये दान पत्र आलेखित कर दिनांक 06.03.2020 को अपने सगे भाई श्री नरसिंह माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा को किया गया। श्री नरसिंह माखीजा पुत्र स्व. श्री गोविन्द राम माखीजा द्वारा इस आवास का दान जरिये दान पत्र आलेखित कर दिनांक 24.06.2020 को अपने पत्नी श्रीमती पूजा माखीजा पत्नी श्री नरसिंह माखीजा को किया गया। श्रीमती पूजा माखीजा पत्नी श्री नरसिंह माखीजा द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में अपने नाम दान पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दान पत्र के आधार पर श्रीमती पूजा माखीजा पत्नी श्री नरसिंह माखीजा के नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दान पत्र के आधार पर श्रीमती पूजा माखीजा पत्नी श्री नरसिंह माखीजा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दान पत्र के आधार पर श्रीमती पूजा माखीजा पत्नी श्री नरसिंह माखीजा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2022/6058 दिनांक:-11.5.22

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना विवेकानन्द नगर भूखंड संख्या 34 का आवंटन दिनांक 18.02.2002 को श्री राम भरोस गोयल पुत्र श्री जगन्नाथ के नाम हस्तान्तरण किया गया था। श्री राम भरोस गोयल पुत्र श्री जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 31.12.2020 को हो गयी है। मृत्यु उपरान्त श्री राम भरोस गोयल पुत्र श्री जगन्नाथ के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत रिलीज डीड (हक त्याग पत्र), मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आईडी इत्यादि के आधार पर श्री नवल किशोर गोयल पुत्र स्व. श्री राम भरोस गोयल द्वारा उक्त भूखंड संख्या 34 अपने नाम हस्तान्तरण करने की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरीये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 34 योजना विवेकानन्द नगर का नामहस्तान्तरण श्री नवल किशोर गोयल पुत्र स्व. श्री राम भरोस गोयल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2022/1439 विज्ञप्ति दिनांक:-12.5.22

कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड संख्या 14 योजना टैगोर नगर का आवंटन न्यास के पत्र क्रमांक 2015 दिनांक 12.05.2005 द्वारा श्री मथुरा लाल मेघवाल पुत्र श्री गणेश राम को आवंटित किया गया था। आवंटी/क्रेता द्वारा नियुक्त मुख्तारआम श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री दिनेश कुमार माहेश्वरी ने उक्त भूखंड का विक्रय जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2021 को श्री हुकम चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामागोपाल गुप्ता को विक्रय कर दिया गया है। श्री हुकम चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामागोपाल गुप्ता ने उक्त भूखंड का हस्तान्तरण स्वयं के नाम कर